न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 686 सन 2019
अनवान :–

1. बनवारीलाल पुत्र डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बीरबलराम शर्मा 2 गोपीराम 3 मेहरचन्द 4 कृष्णा पुत्रगण डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. गोगादेवी पत्नी डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर।
6. फुलवती पुत्री डुगरराम पत्नी सरजीत जाति ब्रहाम्ण निवासी गुरेरा तहसील भिवानी
7. गीता पुत्री डुगरराम पत्नि महेन्द्र जाति ब्रहाम्ण निवासी गुरेरा तहसील भिवानी ।
8. सुमित्रादेवी पुत्री डुगरराम पत्नि कालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी श्री गंगानगर
9. विमला देवी पुत्री डुगरराम पत्नि कमलेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी 3 एफबी शेखसरपाल तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर
10. सुमन पुत्री डुगरराम पत्नी सुभाषचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी विजयनगर जिला श्री गंगानगर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सरदारशहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व रावतसर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 31/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैक व रोही मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा बेरासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैक में से 1/5 हिस्सा ढाणी लेधान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता डुगरराम पुत्र मानाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता डुगरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 है जो वाद भूमि के हकदार है जिसे विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 जो वादी की बहने है जिनकी शादी हो चुकी है जिन्होने परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के

(राजस्व)
नोहर

खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसके पिता डुगरराम पुत्र मानाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ,जो वादी की माता/बहन ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैक व रोही मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा बेरासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैक में से 1/5 हिस्सा ढाणी लेधान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता डूगरराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता डुगरराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 है जो वाद भूमि के हकदार है जिसे विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 जो वादी की बहने है जिनकी शादी हो चुकी है जिन्होने परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैक व रोही मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा बेरासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैक में से 1/5 हिस्सा ढाणी लेधान के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

180/178 के कुल 7.5880हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता डुगरराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता डुगरराम पुत्र मानाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से पूर्णत्या साबित है।

डुगरराम पुत्र मानाराम के देहान्त होने पर उसके नाम से दर्ज भूमि उनके वारिसान विरास्तन से प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,5 ता 10 जो वादी की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,5 ता ,10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैक व रोही मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा बेरासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैक में से 1/5 हिस्सा ढाणी लेधान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता डुगरराम के नाम सें दर्ज है में डुगरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बनवारीलाल पुत्र डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बीरबलराम शर्मा 2 गोपीराम 3 मेहरचन्द 4 कृष्ण पुत्रगण डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. गोगादेवी पत्नी डुगरराम जाति ब्रहाम्ण निवासी जोजासर तहसील नोहर।
6 फुलवती पुत्री डुगरराम पत्नी सरजीत जाति ब्रहाम्ण निवासी गुरेरा तहसील भिवानी
7 गीता पुत्री डुगरराम पत्नि महेन्द्र जाति ब्रहाम्ण निवासी गुरेरा तहसील भिवानी ।
8 सुमित्रादेवी पुत्री डुगरराम पत्नि कालुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी श्री गंगानगर
9 विमला देवी पुत्री डुगरराम पत्नि कमलेश कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी 3 एफबी शेखसरपाल तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर
10 सुमन पुत्री डुगरराम पत्नी सुभाषचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी विजयनगर जिला श्री गंगानगर
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सरदारशहर
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व सवतसर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 686 सन 2019 निर्णय दिनांक– 03/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोजासर के खाता संख्या 71/55 की कुल 8.1060हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 27/25 की कुल 2.7440हैक व रोही मौजा सहजासर के खाता संख्या 207 की कुल 8.4216हैक में से 1/5 हिस्सा , रोही मौजा बेसासर के खाता संख्या 32 की कुल 5.9684हैक में से 1/5 हिस्सा ढाणी लेधान के खाता संख्या 180/178 के कुल 7.5880हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता डुगरराम के नाम सें दर्ज है में डुगरराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)